

उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-4  
संख्या-सू.अ.50/77-4-22

लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2022  
भुवाइ

49602

13-7-22

जनसूचना अधिकारी,  
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

अनुभाग अधिकारी/जनसूचना अधिकारी, लोक शिकायत अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 28.05.2022( छायाप्रति संलग्नक सहित) के साथ संलग्न एडवोकेट एस० शर्मा के सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत पत्र दिनांक 01.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नौएडा/ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत उक्त पत्र दिनांक 01.05.2022 को अन्तरित करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में मांगी गयी सूचना आवेदक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथास्त।

Signed (करन सिंह)

जम्मा: सूचना अधिकारी 3 एवं

Reason: Approved  
अनुभाग अधिकारी।

संख्या-सू.अ.50(1)/77-4-22 तदिनांक

प्रतिलिपि एडवोकेट एस० शर्मा, पता-चैम्बर नं०-82-लायर्स चैम्बर्स, ए०के०एस० ब्लॉक, एस०सी०आई० काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110001 को उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत पत्र दिनांक 01.05.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(करन सिंह)

जन सूचना अधिकारी एवं  
अनुभाग अधिकारी।

R.T.I-20801

P/O-M.R.D

14.7.22